

प्रवेश-प्रक्रिया

सत्र 2025-26

(i) प्रवेश सारणी

<u>स्नातकोत्तर</u>			
पाठ्य-योजना का नाम	पात्रता	सीटें	नियमित / स्ववित्तपोषित
एमए (मीडिया अध्ययन)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (विज्ञापन और जनसम्पर्क)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (न्यू मीडिया)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
एमए (विकास संचार)	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक	30	नियमित
<u>स्नातक</u>			
बीए-जेएमसी: 3 वर्षीय	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में 10+2	90	नियमित
बीए-जेएमसी (ऑनर्स) इन मीडिया स्टडीज : 4 वर्षीय	न्यूनतम 48% अंकों के साथ किसी भी विषय में 10+2	30	नियमित
<u>पीजी डिप्लोमा</u>			
पीजी डिप्लोमा इन डैस्कटॉप पब्लिशिंग	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित
पीजी डिप्लोमा इन फोटोग्राफी	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित
पीजी डिप्लोमा इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित
पीजी डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड मास कम्युनिकेशन	किसी भी विषय में स्नातक	30	स्ववित्तपोषित



Coordinator
Academics and Administration
Khaza Kothli Campus
Hardev Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jaipur

(ii) प्रवेश नियम

1. बीए-जेएमसी (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के नियम
 - 1.1 पात्रता
 - 1.1.1 मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् 10+2 योजना में 12वीं कक्षा (सीनियरसैकंडरी) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
 - 1.1.2 न्यूनतम पात्रता प्रतिशत किसी भी संकाय में 48% प्राप्तांक है। स्थान रिक्त रहने पर इसमें 3% की छूट दी जाएगी।
 - 1.2 कक्षा 12वीं की समकक्षता हेतु
 - 1.2.1 कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिलफॉरवोकेशनलट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स में प्रवेश लेने तथा उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान / राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।
 - 1.2.2 यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की परीक्षा के साथ एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो।
 - 1.2.3 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) के दो या दो से अधिक वर्षों का मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण (आदेशों से पूर्व/पश्चात) कर चुके विद्यार्थी 12वीं की समकक्षता अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सकेंगे।
 - 1.2.4 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात तथा किसी मान्यता प्राप्त पॉलीटेक्निककॉलेज से 3 वर्ष का ऑलइण्डिया काउन्सिल फॉरटेक्निकलएजुकेशन (AICTE) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें आगे शिक्षा में प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा।
- नोट:- ITI (NCVT) एवं RBSE/RSOS बोर्ड के माध्यम से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय दोनों में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु कक्षा 12वीं के समकक्ष होंगे।
- 1.3 प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।
- 1.4 प्रवेश आवेदन का शुल्क:


Coordinator
Academics and Administration
Khalsa Kothi Campus
Hardev Joshi University of
Education and Mass Communication, Jaipur

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य / पिछड़ा वर्ग/ ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा / अजजा संवर्ग
1.	बीए-जेएमसी	550/-	400/-

1.5 काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी मय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होगा।

2. एमए- (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के नियम

2.1 पात्रता

2.1.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् किसी भी संकाय में स्नातक 10+2+3 (या तीन से अधिक) की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।

2.1.2 न्यूनतम पात्रता प्रतिशत 48% प्राप्तांक है। स्थान रिक्त रहने पर इसमें 3% की छूट दी जाएगी

2.1.3 त्रिवर्षीय विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य / ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।

2.2. प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।


Coordinator
Academics and Administration
Kheda Kothi Campus
Haridev Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jalpur

2.3 प्रवेश आवेदन का शुल्क:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य / पिछड़ा वर्ग/ ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा / अजजा संवर्ग
1.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	550/-	400/-

2.4 काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी मय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होगा।

3 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम

3.1 पात्रता

3.1.1 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा अर्थात् किसी भी संकाय में स्नातक [10+2+3 (या तीन से अधिक) की स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण] हो ।

3.1.2 प्रवेश अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर दिया जायेगा।

3.2 प्रवेश आवेदनका शुल्क:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	समस्त संवर्ग
1.	पीजी डिप्लोमा	400/-

3.3 काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी मय मूल दस्तावेज आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ उपस्थित होगा।

3.4 स्ववित्तपोषित (एसएफएस) पीजी डिप्लोमा पाठ्य-योजनाओं के लिए शुल्क के अलावा सामान्य प्रवेश नियम, आरक्षण एवं भारांक संबंधी नियम लागू होंगे। इन पाठ्य-योजनाओं में शिक्षण शुल्क में कोई छूट देय नहीं है।


Coordinator
Academics and Administration
Khase Kothi Campus
Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jaipur

4. प्रवेश के सामान्य नियम

- 4.1 किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होगा। अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए तब तक पात्र नहीं होंगे जब तक कि वे इसके लिए रखी गई पात्रता परीक्षा या विश्वविद्यालय नियमों के तहत निर्धारित कोई अन्य योग्यता उत्तीर्ण नहीं कर लेते।
- 4.2 विश्वविद्यालय अधिसूचना में दी गई अंतिम तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 4.3 मात्र ऑनलाइन आवेदन करना प्रवेश मिलने की गारंटी नहीं है।
- 4.4 सभी तरह के अदालती मामलों के लिए न्यायिक क्षेत्र, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का मुख्यालय जयपुर होगा, इसके अलावा कोई अन्य स्थान नहीं।
- 4.5 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, कश्मीरी विस्थापित और दिव्यांग आदि आवेदकों के लिए सीटें राजस्थान सरकार की नीति/ माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के निर्देशानुसार आरक्षित रखी जाएंगी।
- 4.6 अकादमिक रिकॉर्ड में औसत अंकों में छूट/ भारांक विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के निमित्त विश्वविद्यालय के प्रावधानों के अन्तर्गत ही दिया जाएगा।
- 4.7 जिस अभ्यर्थी ने अपने प्राप्तांक प्रतिशत बिना किसी छूट/ भारांक के प्राप्त किए हैं, वरीयता सूची में उसका स्थान उस अभ्यर्थी से ऊपर होगा, जिसको निर्धारित नियमों के तहत छूट/ भारांक दिया गया है और उसके बाद उसका प्रतिशत बिना भारांक वाले अभ्यर्थी के बराबर हुआ है।
- 4.8 सभी प्रवेश तब तक अस्थायी माने जाएंगे जब तक आवेदक प्रवेश संबंधी सभी तरह की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं कर देता।
- 4.9 यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (गैर-आयकर दाता होने का) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला आवेदकों को राज्य सरकार ने निर्देशानुसार शिक्षण शुल्क में छूट मिलेगी। प्रमाण-पत्र / पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जायेगा एवं इसके उपरांत यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.10. शुल्क का भुगतान: किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वह सभी निर्धारित शुल्क (प्रवेश, शिक्षण व अन्य शुल्क) जमा नहीं कर देता। सभी तरह का शुल्क पूरी अवधि के लिए लिया जाएगा, फिर प्रवेश की तारीख चाहे जो भी हो। प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने (प्रवेश की अंतिम सूची की अंतिम तारीख) के 10 दिन में आवेदन करने पर 75% शुल्क तथा 11 से 30 वें दिन तक आवेदन करने पर 50% शुल्क लौटाया जाएगा। तत्पश्चात जमा शुल्क वापस नहीं लौटाया जाएगा; केवल अमानत राशि लौटाई जाएगी।

- 4.11. जमा अमानत राशि किसी भी तरह के बकाया (यदि कोई है) की वसूली के बाद ही लौटाई जाएगी। इसके लिए विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/ विभाग छोड़ने के बाद के तीन अकादमिक सत्रों के भीतर की अवधि में आवेदन करना होगा।
- 4.12. पूरक या सप्लीमेंट्री के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश:
- क. ऐसे आवेदकों को उनके खुद के जोखिम पर प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक तक अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा। वरीयता सूची ये मानकर तैयार की जाएगी कि ऐसे विद्यार्थी प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक पूरक परीक्षा में प्राप्त कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता की अर्हता का प्रमाण देने के लिए पूरक परीक्षा की अंक तालिका पेश करनी होगी।
- ख. ऐसा अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा में अनुपस्थित रहता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है या निर्धारित न्यूनतम अंक नहीं प्राप्त कर पाता है, उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
- 4.13. प्रवेश नीति के संबंध में, जहाँ नवस्थापित विश्वविद्यालय में स्वयं के नियम नहीं हैं, वहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों को ही मान्य रखा जाएगा।
- 4.14. निम्नलिखित श्रेणी के विद्यार्थी प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे:
- (i) जिन्हें अनुत्तीर्ण घोषित किया जा चुका है।
- (ii) ऐसा व्यक्ति जिसको किसी दंडनीय अपराध में सजा सुनाई जा चुकी हो और नैतिक कदाचार में शामिल रहा हो, वह नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।
- (iii) ऐसा कोई अभ्यर्थी जो विश्वविद्यालय के शिक्षक या किसी अन्य अधिकारी के साथ अभद्रता का दोषी हो उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने से रोका जा सकता है।
- 4.15. वर्तमान में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में एक सेक्शन में अधिकतम 30 और न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- 4.16. निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम प्रवेश रहने की स्थिति में उस पाठ्य-योजना/कोर्स का शिक्षण उस सत्र के लिए स्थगित किया जा सकता है।
5. **स्नातक द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष के प्रवेश नवीनीकरण/ अभिलेख अद्यतनकरण की प्रक्रिया**
- 5.1 स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित विद्यार्थियों को प्रवेश नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अन्तर्गत अभ्यर्थी को सम्बन्धित पाठ्यक्रम की प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करना होता है। यदि गत सत्र का नियमित विद्यार्थी वर्तमान सत्र में निर्धारित तिथि तक सत्र का शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करवा देता है, तो पात्रता शर्तों की पूर्ति होने की स्थिति में वह प्रवेशित माना जाएगा। यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जो:-
- (i) निर्धारित तिथि तक वर्तमान सत्र का शुल्क जमा नहीं करवाते।

- (ii) स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी करवा लें।
- (iii) स्वयं लिखित में प्रवेश लेने से स्पष्ट इन्कार कर दें।
- 5.2. यदि विद्यार्थी शुल्क में रियायत प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुल्क जमा करवाते समय तत्संबंधी (आय / नॉनक्रीमिलेयर प्रमाण पत्र आदि) अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे। प्रमाण पत्र / पत्रों के अभाव में पूर्ण शुल्क जमा किया जाएगा एवं इसके उपरान्त यदि बाद में रियायत संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो रियायत पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. प्रवेश में आरक्षण संबंधी नियम

- 6.1 प्रवेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग आदि को सीटों पर आरक्षण या अंकों में छूट राजस्थान सरकार के नियमानुसार दी जाएगी।
- 6.1.1 स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के लिए 21% , अति पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के लिए 5% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10% स्थान आरक्षित रहेंगे।
- 6.1.2 आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट/ उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलक्टर / तहसीलदार का राजस्थान राज्य की सेवाओं में आरक्षण का लाभ लेने हेतु जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 6.1.3 पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग, संबंधी प्रमाण-पत्र अधिकृत अधिकारी द्वारा एक बार ही जारी किया जाता है, परन्तु क्रीमिलेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्षों में भी क्रीमिलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्वप्रमाणित शपथ-पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र को ही मान लिया जाएगा। ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है। (राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का आदेश क्रमांक एफ11 () () आरएण्ड पी/ सा. न्या.अ.वि./12/7376-409 दि. 24.01.2013)
- 6.1.4 कुल स्थानों में से 5 प्रतिशत सीटें बहरेपन/ गूंगेपन/ अंधेपन या किसी अंग की स्थायी विकलांगता वाले दिव्यांगउम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। राजस्थान सरकार की दिव्यांगता संबंधी आरक्षण नीति के अन्तर्गत यह आरक्षण देय होगा।
- 6.1.5 हर वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में 10 प्रतिशत सीटें कश्मीरीविस्थापितों के बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।
- 6.1.6 विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वरीयता सूची उनके संबंधित वर्ग के अनुसार तैयार की जाएगी।
- 6.1.7 आरक्षित वर्ग से संबंधित विद्यार्थी जो सामान्य वर्ग की वरीयता सूची के समान अंक प्राप्त करेंगे, उनको आरक्षित सूची में नहीं गिना जाएगा और उनको सामान्य वर्ग की वरीयता सूची में शामिल किया जाएगा।
- 6.1.8 आरक्षित वर्ग के जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश सामान्य श्रेणी में होगा उनको अलग रखते हुए आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के शेष अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी और उन वर्गों की वरीयता सूची आरक्षित सीटें भरने तक नीचे

जाएगी। यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की आरक्षित सीटें भरने के लिए प्रवेश के लिए निर्धारित न्यूनतमप्रतिशत को घटाया जा सकता है।

- 6.1.9 पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त, अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा। इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा, जिसमें अन्तिम निर्णय कुलपति के स्तर पर लिया जाएगा।
- 6.1.10 पिछड़ा वर्ग को प्राप्त 21 प्रतिशत आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग भी सम्मिलित है एवं इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत का अलग से स्थान देय है {संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 28.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प. 18(2) शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}।
- 6.1.11 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्य-योजना में 10 प्रतिशत आरक्षण की पालना सुनिश्चित की जाएगी। {संदर्भ कार्मिक (क-2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 7(1) कार्मिक/ क-2/2019 दिनांक 22.02.2019, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के आदेश क्रमांक प.18(2) शिक्षा-4/2014 रिजर्वेशन दिनांक 07.03.2019}।
- 6.1.12 प्रत्येक पाठ्य-योजना में 15 प्रतिशत अधिसंख्य (supernumerary) सीटें विदेशी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति भी शामिल हैं। इन अधिसंख्यसीटों में से एक तिहाई यानी 5 प्रतिशतसीटों पर प्रवेश में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिसंख्यसीटों पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में 5 गुना अधिक फीस देनी होगी।


Coordinator
Academics and Administration
Khosa Kothi Campus
Hardev Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jaipur

6.1.13 जयपुर सीरियल बम धमाके के पीड़ितों का प्रवेश:

- (i) पीड़ितों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी पाठ्य-योजना में सीधे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि वे प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता को पूरा करते हों।
- (ii) प्रत्येक ऐसे छात्र को इस आशय का एक प्रमाण पत्र देना होगा जो जिला कलेक्टर / नगर निगम या एसएमएस अस्पताल, जयपुर के मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा जारी हो।
- (iv) इन छात्रों को पाठ्य-योजना पूरा करने तक परीक्षा और अन्य निर्धारित शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की जाएगी।
- (v) कुलपति द्वारा गठित एक अलग समिति जिसमें विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी, डी.एस.डब्ल्यू.इस संबंध में सभी दावों की विश्वसनीयता की जांच करने के पश्चात ही पीड़ितों को छूट का सुझाव देगी।
- (vi) विश्वविद्यालय की सभी पाठ्य-योजना (स्ववित्तपोषित सहित) में ऐसे छात्रों के लिए आवंटित की गई सीटों से अलग एक सीट निर्धारित और आरक्षित की जाएगी।
- (vii) यह विशेष योजना दो प्रकार के पीड़ितों के लिए विशेष रूप से लागू होनी चाहिए-
 - क. ऐसा आकांक्षी छात्र जिसने अपने माता-पिता को खो दिया है। या तो पिता, माता या ऐसा कोई भी वह व्यक्ति जो आधिकारिक तौर पर इस विस्फोट से पहले इस तरह के छात्र के संरक्षक के रूप में नामित किया गया था।
 - ख. आकांक्षी छात्र का कोई भी अभिभावक जो गंभीर रूप से घायल हो गया है (शारीरिक क्षति की न्यूनता सीमा 25 % है) या किसी भी महत्वपूर्ण शरीर के अंग का नुकसान (आंशिक या पूरी तरह से)।

7 प्रवेश के लिए भारांक

7.1. भारांक (वेटेज) हेतु सामान्य नियम निम्नानुसार है:-

- (i) वरीयता सूची तैयार करते समय भारांक सिर्फ तभी दिया जाएगा, जब अभ्यर्थी ने अनिवार्य न्यूनतम प्रतिशत अंक हासिल किया हो।
- (ii) प्रवेश नियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मिलने वाले अंकों की छूट अभ्यर्थियों को सिर्फ एक ही बार दी जाएगी, एक से ज्यादा नहीं।
- (iii) अभ्यर्थियों को उपर्युक्त छूट एचजेयू की भारांक समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप अंतरिम प्रवेश (पूरक परीक्षा देनेवाले अभ्यर्थियों के लिए) की स्थिति में भी दी जाएगी।
- (iv) इस संबंध में एचजेयू का खेल बोर्ड मान्यता प्राप्त खेलों के लिए नियम तय करेगा।
- (v) विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के हित में, उपर्युक्त छूटों को लागू करने से इंकार कर सकते हैं। वे अभ्यर्थियों के आचरण या प्रमाणपत्र के संदिग्ध होने की स्थिति में भी प्रवेश के लिए निर्धारित छूट से मना कर सकते हैं।
- (vi) स्नातक एवं स्नातकोत्तर के प्रवेश में, खेलों में 5% या इससे अधिक भारांक के दावों के लिए अभ्यर्थी को विवि खेल बोर्ड में रिपोर्ट करना होगा और मौलिक प्रमाणपत्र के साथ शारीरिक क्षमता और अपने कौशल का प्रदर्शन करना होगा।

- (vii) अभ्यर्थी को खेलकूद/ सह शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय पर विगत तीन सत्रों में खेलकूद/ सह शैक्षणिक क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियाँ परिलाभ क्रमशः स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश के समय ही दिया जाएगा ।
- (viii) ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय भारांक प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्र दोनों ओर से स्कैन कर अपलोड करना होगा । आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/ विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी भारांक के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा। स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र की प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। अन्तरिम प्रदेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
- (ix) भारांक में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा ।

7.2

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	(i) भारत सरकार के मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में देश का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
	(ii) अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व	
	(iii) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रस्तरीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/ उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	
	(iv) अखिल भारतीय अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाला विजेता/ उपविजेता दल अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
	(v) विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता (एस.जी. एफ. आई.) में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(vi) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से दलीय खेलों में विजेता/ उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	

ख	(i) पश्चिम क्षेत्रीय अन्तर विश्वविद्यालयीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य के वित्तपोषित विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/ उपविजेता दल का सदस्य (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विद्यालयीय खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वी.एस.)/ नवोदय विद्यालय संगठन (एन.वी.एस.)/ आई.पी.एस./ सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में दलीय खेल हेतु विजेता/ उपविजेता तथा व्यक्तिगत खेल हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) सी.बी.एस.ई. राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से)	6 प्रतिशत
ग	(i) भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय ओलम्पिक महासंघ से मान्यता प्राप्त खेल महासंघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने पर। (ii) अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर। (iii) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन/ आई.पी.एस. संगठन/ सैनिक स्कूल (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) संगठन के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता प्रतिनिधित्व (iv) सी.बी.एस.ई. की क्लस्टर/ जोन स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त करने पर (दलीय खेलों हेतु विजेता/ उपविजेता तथा एकल खेलों हेतु प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर)	5 प्रतिशत
घ	(i) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेलसंघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता का स्थान प्राप्त करने पर (ii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व/ जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर (iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	3 प्रतिशत

	(v) केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन/ आई.पी.एस. संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) के रीजनल/ क्लस्टर स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करने पर	3 प्रतिशत
ड	(i) राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने पर।	2 प्रतिशत
	(ii) विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा आयोजित अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(iii) राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय प्रतियोगिता में विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने पर	
	(iv) अखिल भारतीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	
	(v) सी.बी.एस.ई. केन्द्रीय विद्यालय संगठन/ नवोदय विद्यालय संगठन (राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय से) की क्लस्टर/ जोन/ रीजनल स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर	

विशेष टिप्पणी : क के बिन्दु संख्या i व ii के अलावा उपर्युक्त देय भारांक राजस्थान राज्य में अवस्थित विद्यालय/ महाविद्यालय/ राज्य विश्वविद्यालय से प्रतिनिधित्व की स्थिति में ही देय होगा।

7.2.1

भारांक प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित भारांक देय नहीं होगा –

क्र.सं.	स्तर	जिनका प्रमाण-पत्र मान्य होगा
1.	क (i) से (vi)	भारत सरकार के खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एस.जी.एफ.आई., सी.बी.एस.ई. संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी/ आयोजन सचिव
2.	ख से ग के (i) से (iv)	विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, सी.बी.एस.ई. संगठन, आई.पी.एस. संगठन, सैनिक स्कूल संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी/ आयोजन सचिव, आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित
3.	घ का (i) से (v)	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघ के पदाधिकारी, राजस्थान राज्य शिक्षा विभाग के उपनिदेशक/ जिला शिक्षा अधिकारी/ उपजिला शिक्षा अधिकारी/ आयोजन सचिव/

	एवं ड का (i) से (v)	आयोजक संस्था के प्राचार्य, सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य तथा प्रभारी द्वारा प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित
--	------------------------	--

उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे –

क्र.सं.	खेल का नाम	क्र.सं.	खेल का नाम
1.	एथलेटिक्स (क्रॉसकन्ट्री दौड़ सहित)	19.	जूडो
2.	जलीय खेल (स्वीमिंगडाइविंग एवं वाटरपोलो)	20.	मुक्केबाजी
3.	बैंडमिन्टन	21.	मिनीगोल्फ
4.	बास्केटबॉल	22.	तीरन्दाजी
5.	शतरंज	23.	निशानेबाजी, एयरराइफल, एयरपिस्टल
6.	क्रिकेट	24.	सॉफ्टबॉल
7.	साइकिलिंग	25.	अमेरिकनफुटबॉल
8.	फुटबाल	26.	बॉल बैडमिंटन
9.	हॉकी	27.	नेट बॉल
10.	कबड्डी	28.	रोलबॉल
11.	खो-खो	29.	रग्बी
12.	टेबल टेनिस	30.	स्कवैशरैकिट
13.	टेनिस	31.	ताइक्वांडो
14.	वॉलीबॉल	32.	बुशू
15.	हैण्डबाल	33.	योग
16.	कुश्ती	34.	पावर लिफ्टिंग
17.	भारोत्तोलन एवं शरीर सौष्ठव	35.	ब्रिज
18.	जिमनास्टिक		

7.3 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर सह शैक्षणिक गतिविधियों में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय	न्यूनतम उत्तीर्णांक

	एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अपने जीवन काल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो।	प्रतिशत पर प्रवेश
ख	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त।	6 प्रतिशत
ग	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय/ राज्य का प्रतिनिधित्व। टिप्पणी: उपर्युक्त (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/ सम्बद्ध कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	5 प्रतिशत
घ	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय/ विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/ संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/ उपविजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त	3 प्रतिशत

7.4

अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में अंतरराष्ट्रीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/ राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम उत्तीर्णांकप्रतिशत पर प्रवेश
ख	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली)राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का	6 प्रतिशत

	प्रमाण पत्र होने पर	
ग	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में राज्य स्तर/ विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	5 प्रतिशत
घ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन सत्रों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	3 प्रतिशत

7.5 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर एन.सी.सी. में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.सं.	सीनियर डिवीजन/ विंग (तीन सत्रों में) जूनियर डिवीजन/ विंग (पांच सत्रों में)	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ख	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार	
ग	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर –	
	गणतंत्र दिवस कैम्प की प्रतियोगिता में प्रथम/ द्वितीय स्थान	6 प्रतिशत
	पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काईडाइविंग कोर्स पूर्ण कर्त्ताकैडेट	
	एडवेन्चरमाउन्टेनीयरिंग तथा एडवांसमाउन्टेनीयरिंग कोर्स पूर्ण कर्त्ताकैडेट	
	सी प्रमाण पत्र, ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	बी प्रमाण पत्र, ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
	ए प्रमाण पत्र, ए ग्रेड प्राप्त कैडेट	
घ	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना –	5 प्रतिशत
	गणतंत्र दिवस कैम्प	
	अखिल भारतीय एडवांसलीडरशिपकैम्प	
	पैरा जम्पिंग कोर्स	
	आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000) फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना।	
	विद्यार्थी विंग में सी प्रमाण पत्र, बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	विद्यार्थी विंग में बी प्रमाण पत्र, बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	

	जूनियरडिवीजन विद्यार्थी ए प्रमाण पत्र, बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	स्नो- स्कीइंग कोर्स	
	सीनियरअण्डरऑफिसर/ सीनियरकैडेट कैप्टन/ कैडेट फ्लाइट सार्जेंटरैंक पर नियुक्ति	
ड	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर –	
	सी प्रमाण पत्र, सी ग्रेड के साथ	
	बी प्रमाण पत्र, सी ग्रेड के साथ	
	जूनियरडिवीजन ए प्रमाण पत्र, सी ग्रेड के साथ	
	ऑलइण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	
	ऑलइण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
	वॉटरस्कीइंग कोर्स	
	अण्डरऑफिसर/ कैडेट कैप्टन/ कैडेटसार्जेंटरैंक पर नियुक्ति	3 प्रतिशत

7.6 अभ्यर्थी द्वारा विद्यालय/ महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय स्तर पर रोवर, रेंजर, स्काउट, गाइड में उपलब्धि प्राप्त करने पर देय भारांक –

क्र.सं.	उपलब्धि	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु देय भारांक
क	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट/ गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अंतरराष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/ गाइड/ रोवर/ रेंजर पुरस्कार प्राप्तकर्ता	न्यूनतम उत्तीर्णांकप्रतिशत पर प्रवेश
ख	राज्य पुरस्कार स्काउट/ गाइड/ रोवर/ रेंजर अथवा राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/ उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में शील्ड प्राप्त किया हो	5 प्रतिशत
ग	तृतीयसोपानस्काउट/ गाइड अथवा प्रवीण रोवर/ रेंजर अथवा निपुण रोवर/ रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/ रेंजरमीट में भाग लिया हो अथवा राज्य स्तरीय एडवेंचर गतिविधि अथवा डेजर्टट्रेकिंग शिविर में भाग लिया हो अथवा पर्वतारोहण का आधारभूत	3 प्रतिशत

	कोर्सकर्ता रहा हो अथवा प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता/ उपराष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्वकर्ता हो।	
--	---	--

- 7.7 विवरण (अल्बिनो) अभ्यर्थियों को 1% का भारांक दिया जाएगा।
- 7.8 सैन्य बलों के सदस्य या उनके आश्रित और अर्द्ध-सैनिक बल या उनके आश्रित (बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ) को प्रमाणपत्र जाँच के बाद 5% भारांक दिया जाएगा।
- 7.9 सैन्य और अर्द्धसैनिकबलों (बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ) के शहीद – आश्रितों को सीधे प्रवेश दिया जाएगा।

(क) स्नातक पाठ्य-योजनाओं हेतु:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा, अजजा संवर्ग
1.	स्नातक पाठ्यक्रम	रूपये 550	रूपये 400

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्य-योजनाओं हेतु:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	सामान्य, पिछड़ा वर्ग, ईडबल्यूएस/एमबीसी	अजा, अजजा संवर्ग
1.	स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	रूपये 550	रूपये 400

(ग) पीजी डिप्लोमा:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम	समस्त संवर्ग
1.	पीजी डिप्लोमा	रूपये 400

सत्र 2025-26 में बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी (ऑनर्स इन मीडिया स्टडीज), एमए, पीजी डिप्लोमा और डिप्लोमा पाठ्य-योजनाओं में नव प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु शुल्क संरचना

क्र.सं.	मद	विवरण	बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी (ऑनर्स इन मीडिया स्टडीज) शुल्क (रूपये)	एमए शुल्क (रूपये)	डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा शुल्क स्ववित्तपोषी (रूपये)
1.	प्रवेश शुल्क	एक बार में	2420	3630	3630
2.	विद्यार्थी धरोहर राशि	एक बार में (वापसी योग्य)	2420	2420	2420

3.	कम्प्यूटर लैब शुल्क	एक बार में	1210	1210	1210
4.	स्टूडियो शुल्क	(एक बार में, उपलब्धता की स्थिति में)	1210	1820	----
5.	पहचान पत्र शुल्क	प्रतिवर्ष	120	120	120
6.	विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा हेतु अंशदान	प्रतिवर्ष	100	100	100
7.	विश्वविद्यालय छात्र संघ सदस्यता शुल्क	प्रतिवर्ष	120	120	----
8.	छात्र संघ चुनाव शुल्क	प्रतिवर्ष	240	240	----
9.	क्रीड़ा शुल्क	प्रतिवर्ष, उपलब्धता की स्थिति में	240	240	240
10.	शिक्षण शुल्क	प्रति सेमेस्टर	3990	6660	10650
11.	पुस्तकालय शुल्क	प्रति सेमेस्टर	240	240	240
12.	अंतर विभागीय शुल्क	आवश्यकतानुसार	----	120	110
13.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क	आवश्यकतानुसार	610	610	610
14.	विश्वविद्यालय नामांकन शुल्क (परीक्षा आरंभ के पश्चात)	आवश्यकतानुसार	1100	1100	1100
15.	अन्य बोर्ड (बीएसईआर के अलावा)/ विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क	आवश्यकतानुसार	610	610	610
16.	पहचान पत्र की दूसरी प्रति हेतु शुल्क	आवश्यकतानुसार	240	240	240
17.	स्थानांतरण प्रमाण पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	120	120	120
18.	चरित्र प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	60	60	60
19.	दीक्षांत सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री शुल्क	एक बार में	850	850	850
20.	एल्युमनी एसोसिएशन सदस्यता शुल्क	एक बार में	610	610	610
21.	विद्यार्थी सहायता कोष शुल्क	आवश्यकतानुसार	110	110	110

22.	प्रकाशन शुल्क	आवश्यकतानुसार	110	110	110
23.	विषय परिषद शुल्क	आवश्यकतानुसार	170	170	170
24.	विकास कोष शुल्क	प्रति वर्ष	240	240	240
25.	पार्किंग शुल्क	आवश्यकतानुसार	170	170	170
26.	पाठ्येत्तर कार्यकलाप शुल्क	आवश्यकतानुसार	110	110	----

परीक्षा से संबंधित शुल्क (बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी(ऑनर्स इन मीडिया स्टडीज), एमए, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा के सभी विद्यार्थियों हेतु)

क्र.	मद	विवरण	बीए-जेएमसी/बीए-जेएमसी(ऑनर्स) शुल्क (रूपये)	एमए शुल्क (रूपये)	डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा शुल्क (रूपये)
1.	परीक्षा शुल्क	-	240 प्रति पेपर	240 प्रति पेपर	240 प्रति पेपर
2.	परीक्षा शुल्क (बीए-जेएमसी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों पर लागू)	प्रति सेमेस्टर	670	---	----
3.	बकाया पेपर शुल्क	प्रति पेपर	260	260	260
4.	पुनर्मूल्यांकन शुल्क	प्रति पेपर	400	400	400
5.	संवीक्षा शुल्क	प्रति पेपर	200	200	200
6.	ट्रांसस्क्रिप्ट फीस	आवश्यकतानुसार	3630	3630	3630
7.	प्रवजन प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	240	240	240
8.	प्रवजन प्रमाण पत्र दूसरी प्रति	आवश्यकतानुसार	1210	1210	1210
9.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र	आवश्यकतानुसार	240	240	240
10.	अंकतालिका की दूसरी प्रति	आवश्यकतानुसार	240	240	240
11.	अतिरिक्त अंकतालिका	आवश्यकतानुसार	360	360	360
12.	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	-----	-----	-----

13.	परीक्षा आवेदन पत्र विलंब शुल्क	आवश्यकतानुसार	1. अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक 100/- 2. तत्पश्चात विशेष अनुमति के बाद 500/-	1. अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक 100/- 2. तत्पश्चात विशेष अनुमति के बाद 500/-	1. अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस तक 100/- 2. तत्पश्चात विशेष अनुमति के बाद 500/-
14.	गोपनीय परिणाम शुल्क	आवश्यकतानुसार	1100	1100	1100
15.	योग्यता प्रमाण पत्र शुल्क	आवश्यकतानुसार	330	330	330
16.	योग्यता प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति शुल्क	आवश्यकतानुसार	610	610	610
17.	आरटीआई के तहत प्रति पेपर उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी	आवश्यकतानुसार	700	700	700
18.	यदि दीक्षांत समारोह से पहले डिग्री	आवश्यकतानुसार	1820	1820	1820
19.	डिग्री की दूसरी प्रति	आवश्यकतानुसार	610	610	610
20.	परीक्षा फॉर्म में छात्र द्वारा प्रस्तुत तिथि/प्रविष्टि में (एक वर्ष के भीतर) सुधार	आवश्यकतानुसार	240	240	240
21.	परीक्षा फॉर्म में छात्र द्वारा प्रस्तुत तिथि/प्रविष्टि में (एक वर्ष के पश्चात) सुधार	आवश्यकतानुसार	610	610	610
22.	डाक शुल्क (प्रति अंकतालिका)	आवश्यकतानुसार	120	120	120

❖ बीए-जेएमसी तृतीये वर्ष के विद्यार्थियों पर लागू।


 Coordinator
 Academic and Adm.
 Khairi Kani Can
 Pradip Joshi Unive
 Journalism and Mass Comm.

सत्र 2025-26 में पीएच.डी हेतु शुल्क संरचना

पीएच.डी शुल्क संरचना		
मद		शुल्क (रूपये)
A. पीएच.डी प्रवेश परीक्षा		
	प्रवेश परीक्षा एवं प्रवेश आवेदन शुल्क	4390
B. कोर्सवर्क शुल्क		
1.	प्रवेश शुल्क (एक बार में)	730
2.	कोर्स वर्क शिक्षण शुल्क (एक बार में)	21630
3.	पुस्तकालय शुल्क (एक बार में)	730
4.	पहचान पत्र शुल्क (प्रति वर्ष)	140
5.	छात्र सुरक्षा बीमा अंशदान (प्रति वर्ष)	100
6.	छात्र धरोहर राशि (एक बार में, वापसी योग्य)	2930
7.	नामांकन शुल्क (आवश्यकतानुसार)	730
8.	अन्य विश्वविद्यालय से आने वाले छात्रों द्वारा देय पात्रता शुल्क (आवश्यकतानुसार)	730
9.	प्रवजन प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)	300
C. शोध कार्य शुल्क		
1.	पीएच.डी पंजीकरण शुल्क (एक बार में)	2930
2.	शिक्षण शुल्क (प्रति दो सेमेस्टर)	10980
3.	पुस्तकालय शुल्क (प्रति दो सेमेस्टर)	1460
4.	कंप्यूटर लैब शुल्क (प्रति वर्ष)	1460
5.	थीसिस जमा कराने संबंधी शुल्क (एक बार में)	10250
6.	दीक्षांत समारोह शुल्क (एक बार में)	1020
7.	शोध छात्रसंघ सदस्यता शुल्क (प्रति वर्ष)	140
8.	शोध छात्रसंघ चुनाव शुल्क (प्रति वर्ष)	300
9.	पुनः पीएच.डी पंजीकरण शुल्क (आवश्यकतानुसार)	7320
10.	पुनः थीसिस जमा कराने संबंधी शुल्क (आवश्यकतानुसार)	7320
11.	पुनः मौखिकी (viva) शुल्क (आवश्यकतानुसार)	4390
12.	एक्सटेंशन शुल्क (आवश्यकतानुसार)	2930
13.	प्रोविजनल प्रमाण पत्र शुल्क (आवश्यकतानुसार)	730
14.	अनुपस्थिति में डिग्री शुल्क (आवश्यकतानुसार)	300
15.	डिग्री की दूसरी प्रति (आवश्यकतानुसार)	730



Coordinator
Academics and Administration
Khaza Kothi Campus
Handev Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jaipur

शिक्षण शुल्क /अन्य शुल्क की छूट संबंधी प्रावधान:

1. विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सभी संवर्गों की छात्राओं/महिलाओं से, स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
2. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों को क्रीड़ा शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
3. ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अविभावक आयकरदाता नहीं हैं और वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के हैं और ऐसे भी विद्यार्थी जो गैर आयकरदाता पूर्व-सैन्य जवानों के पालित हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
4. ऐसे रक्षा कर्मचारियों के पालित/आश्रित (या जो स्वयं पूर्व रक्षा कर्मचारी हैं) जो 1962 के नेफा/लद्दाख ऑपरेशन और 1971 के भारत-पाक युद्ध में या तो स्थायी तौर पर अक्षम या शहीद हो गए, उन्हें शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क और छात्रावास शुल्क नहीं देना होगा, बशर्ते कि -
 - i. वह परिवार राजस्थान में स्थायी तौर पर बस गए हो,
 - ii. परिवार को 400 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा की पेंशन न मिल रही हो, तथा
 - iii. क्षेत्र में कार्यरत संबंधित कमांडिंग अफसर से प्रमाणपत्र की नकल प्रस्तुत करें।
5. जो विद्यार्थी विकलांग/दिव्यांग हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क और परीक्षा शुल्क से छूट मिलेगी। हालांकि, उन्हें कम से कम कनिष्ठ विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित और मेडिकल अफसर से सह-हस्ताक्षरित स्थायी विकलांगता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. दृष्टि शक्ति और श्रव्य शक्ति से वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा और शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा।
7. स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों को छोड़कर, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत शहीदों के पालितों से कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा (शहीद राजस्थान के स्थायी निवासी रहे हों)।

टिप्पणियाँ

1. कोई अन्य शुल्क/छूट जो यहाँ वर्णित नहीं हैं, के संबंध में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।
2. विश्वविद्यालय छोड़ने के तीन अकादमिक वर्ष के भीतर अगर दावा नहीं किया जाता तो सभी जमा राशि जब्त मानी जाएगी।
3. विद्यार्थी कल्याण अधिष्ठाता के कार्यालय द्वारा निर्गत “विद्यार्थी दुर्घटना सुरक्षा बीमा फॉर्म” सभी विद्यार्थियों को भरना अनिवार्य होगा।


Coordinator
Academics and Administration
Khaza Kothi Campus
Hardev Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jaipur

प्रवेश प्रक्रिया के लिए टाइमलाइन (सत्र 2025-26)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1	प्रवेश का विज्ञापन जारी	05 जून, 2025
2	प्रवेश आवेदन शुरू होने की तिथि	05 जून, 2025
3	प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि	30 जून, 2025
4	आवेदन पत्रों की पात्रता का परीक्षण	01 जुलाई से 10 जुलाई, 2025
5	प्रथम मैरिट सूची का प्रकाशन	12 जुलाई, 2025
6	काउंसलिंग और शुल्क जमा करने का कार्य	14 जुलाई से 19 जुलाई, 2025
7	द्वितीय सूची का प्रकाशन	21 जुलाई, 2025
8	द्वितीय सूची की काउंसलिंग और शुल्क जमा कार्य	22 जुलाई, 2025 से 31 जुलाई, 2025
9	सत्र प्रारंभ (2025-26)	01 अगस्त, 2025



Coordinator
Academics and Administration
Kotasa Kothi Campus
Hanudev Joshi University of
Journalism and Mass Communication, Jaipur